

श्री ५ को सरकार

कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०२२ सालको ऐन नं. ७

स्वस्तिश्री गिरिराजबक्रवूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदाबली विराजमान-मानोन्नत महेन्द्रमाला ओजस्विराजन्य अति तेजस्वी त्रिभुवन प्रजातन्त्रश्रीपद अति कीर्तिमय नेपालश्रीपद प्रोज्ज्वल नेपालतारा ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रबल गोरखा-दक्षिणबाहु महाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।

आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न अधिकार दिने र विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना:- आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम:- यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०२२" रहेको छ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



२. आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार:-

आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएको सेवा र कार्यहरूको निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जम्मा रूपैयाँ ४३,६८,५४,०००। त्रितालिस करोड अठ्ठासबबे लाख चबन्न हजार (पेइकी खर्च ऐन, २०२२ अनुसार खर्च भएको रकम समेत) मा नबढाई त्यतिसम्मको रकम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ ।

३. विनियोजन:- यो ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०२२।२३ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिने छ ।

तर,

उक्त सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरिएको रकम कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले एक शीर्षकबाट जम्मा रूपैयाँ ३,००,००० तीन लाखमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न सक्नेछ ।

१५६५  
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



अनुसूची - १

संविधान अनुसार सञ्चित कोष माथि व्यय भार हुने

| १      | २             | ३                                  | ४                                       |
|--------|---------------|------------------------------------|---|
| सि.नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                       | सञ्चित कोषमाथि व्यय भार हुने रु. हजारमा |
| १      | १             | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राज परिवार | ५४,६१                                   |
| २      | २             | राज सभा                            | १,३०                                    |
| ३      | ३             | राष्ट्रिय पञ्चायत                  | ११,४३                                   |
| ४      | ४             | महालेखा परीक्षकको विभाग            | ७,१५                                    |
| ५      | ५             | सर्वोच्च अदालत                     | ७,०६                                    |
| ६      | ६             | लोक सेवा आयोग                      | २,००                                    |
| ७      | ३८            | लगानी ऋण तथा व्याज                 | १,०६,३३                                 |
|        |               |                                    | <u>१,८६,६१</u>                          |

आधिकारिकता २४६ मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



## अनुसूची - २

दफा २ र ३ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १      | २             | ३                         | ४                           |
|--------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| सि.नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य              | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १      | ७             | मन्त्रिपरिषद्             | ७,१५                        |
| २      | ८             | श्री ५ को सरकारको सचिवालय | २७,३७                       |
| ३      | ९             | जिल्ला प्रशासन            | ४१,६२                       |
| ४      | १०            | पुलिस                     | १,१६,५०                     |
| ५      | ११            | जेल                       | २६,७०                       |
| ६      | १२            | विविध                     | ६,६८                        |
| ७      | १३            | मालपोत                    | ५३,०७                       |
| ८      | १४            | भंसार                     | २८,३५                       |
| ९      | १५            | अन्तःशुल्क                | १,८६                        |
| १०     | १६            | कर                        | ४,२२                        |
| ११     | १७            | रोडशेष                    | ६६                          |
| १२     | १८            | आय कर अदालत               | १,२१                        |
| १३     | १९            | तथ्याङ्क                  | १,२७                        |
| १४     | २०            | सभे                       | ६४                          |
| १५     | २१            | टक्सार                    | ५,०१                        |
| १६     | २२            | एकाउण्टेण्ट जनरल अफिस     | ८,०५                        |
| १७     | २३            | अदालत                     | ३१,१६                       |
| १८     | २४            | एटर्नी जनरल अफिस          | ७६                          |
| १९     | २५            | वैदेशिक                   | ५८,३३                       |
| २०     | २६            | विविध                     | २२,८६                       |
| २१     | २७            | शिक्षा                    | ६४,२२                       |
| २२     | २८            | स्वास्थ्य                 | ४६,११                       |
| २३     | २९            | प्रचार तथा प्रसार         | १८,८३                       |
| २४     | ३०            | पञ्चायत                   | १७,६३                       |
| २५     | ३१            | कृषि                      | ६,५७                        |
| २६     | ३२            | वन                        | ४०,३८                       |
| २७     | ३३            | उद्योग वाणिज्य            | ५,६२                        |

आधिकारिकता मूद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



|    |    |   |          |
|----|----|---|----------|
| २८ | ३४ | सञ्चार  | ६६,६१    |
| २९ | ३५ | यातायात   | २७,२२    |
| ३० | ३६ | बिजुली  | २,०८     |
| ३१ | ३७ | निर्माण   | ६६,४९    |
| ३२ | ३९ | रक्षा   | २,९२,४०  |
| ३३ | ४० | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च | १२,००    |
| ३४ | ४१ | पेन्सन भत्ता तथा उपदान                          | ३४,२५    |
| ३५ | ४२ | अतिथि सत्कार                                    | १,२५     |
| ३६ | ४३ | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार                | १,५०     |
| ३७ | ४४ | पुनः मतदान                                      | ३,००     |
| ३८ | ४५ | मुआवजा  | २,००     |
| ३९ | ४६ | अन्य आकस्मिक                                    | ३,००     |
| ४० | ४७ | भैपरी आउने                                      | १,६०,५०  |
|    |    |   | <hr/>    |
|    |    |   | १३,५५,३९ |

आधिकारिकता मूद्रा विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।



## अनुसूची - ३

दफा २ र ३ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने ।

| १      | २             | ३                                | ४                        |
|--------|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| सि.नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                     | विनियोजित रकम रु. हजारमा |
| १      | १             | तथ्याङ्क                         | १२,००                    |
| २      | २             | सर्भे                            | ४१,१७                    |
| ३      | ३             | बजेट तथा एकाउण्टेण्ट तालीम योजना | २,४८                     |
| ४      | ४             | शिक्षा                           | २,६७,२०                  |
| ५      | ५             | स्वास्थ्य                        | १,६३,६४                  |
| ६      | ६             | प्रचार तथा प्रसार                | ४६,५०                    |
| ७      | ७             | पञ्चायत                          | १,२३,२८                  |
| ८      | ८             | कृषि                             | १,८३,८४                  |
| ९      | ९             | वन                               | ७७,२२                    |
| १०     | १०            | उद्योग वाणिज्य                   | २,१२,८१                  |
| ११     | ११            | सञ्चार                           | ३२,८१                    |
| १२     | १२            | यातायात                          | १,१६,१३                  |
| १३     | १३            | बिजुली                           | ५,४४,६५                  |
| १४     | १४            | निर्माण                          | ६,६७,५०                  |
| १५     | १५            | लगानी, ऋण तथा व्याज              | ३१,००                    |
| १६     | १६            | इञ्जिनियरिङ्ग                    | २,३८                     |
| १७     | १७            | पुनः मतदान                       | ५,००                     |
| १८     | १८            | भैपरि आउने                       | ८६,००                    |
| १९     | १९            | योजना                            | ७,४६                     |
| २०     | २०            | प्रशासन सुधार                    | ६,०४                     |
| २१     | २१            | भूमि सुधार                       | ७४,४१                    |
| २२     | २२            | मेडिक नाप तौल आयोजना             | ३,००                     |
|        |               |                                  | ३०,४३,१५                 |

लालमोहर सदर मिति २०२२।५।६।१

आज्ञाले-

विनोदप्रसाद धितार,  
श्री ५ को सरकारको सचिव ।

आधिकारिक मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।